रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 949] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2013/वैशाख 10, 1935
No. 949] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2013/VAISAKHA 10, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2013

का.आ. 1081(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1035(अ), तारीख 7 मई, 2010 द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के 181.300 किमी से 231.950 किमी (पटना–बख्तियारपुर सेक्शन) तक के खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है; और प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स पटना बख्तियारपुर टोलवे लिमिटेड, जो 30-6-2010 को प्रस्तुत की गई बोलियों के सफल बोलीदाता हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय 6-2-913/914, पांचवाँ तल, प्रोग्रेसिव टॉवर्स खैरातााबाद, हैदराबाद-500004 आंध्रप्रदेश भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर 181.300 किमी से 231.950 किमी पटना-बख्तियारपुर सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" कहा गया है) तक का चार लेन में विकास करने तथा उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" कहा गया है)।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के तहत प्रकाशित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यात्रा का परिमाण और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर चार या अधिक लेन के खण्डों हेतु, सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 14.200 किमी के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) और दस करोड़ रुपये या अधिक की लागतवाले बाईपासों के लिए नीचे सारणी 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर पुनरेखीकृत निवल लम्बाई 36.40 किमी 195.000 किमी से 231.400 किमी की आधार दर से डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उदग्रहित एवं संग्रहित किया जायेगा और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक, जैसाकि करार में निर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहित और उसे प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
भारी संख्या निर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी-2

स्थायी पुल, या सुरंग बाइपास की लागत (करोड़ रुपये में)	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	हल्का वाणिज्यिक वाहन, हल्का माल वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस	एचसीएम, इएमइ अथवा (एमएवी)	बड़े आकार के वाहन
10 से 15	5	7.50	15	22	30
पंद्रह करोड़ रुपये से अधिक और एक सौ करोड़ रुपये तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	4.50	6
एक सौ करोड़ रुपए से अधिक और दो सौ करोड़ रुपए तक प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये या उसके भाग के लिए	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50
दो सौ करोड़ रुपए से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए	0.50	0.75	1.50	2.25	3

1. नीचे उद्ग्रहीत या संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए, शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
कि.मी./चैनेज. 194.000 (पटना जिले के दीदारगंज गांव के पास)	14.200

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल (पुलों)/संरचना (संरचनाओं) के उपयोग के लिए, जिनकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, भी शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय होगा	
कि.मी./चैनेज. 194.000 (पटना जिले के दीदारगंज गांव के पास)	लम्बाई	लागत
	36.400 कि.मी (195.000 कि.मी. से 231.400 कि.मी.)	330.00

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2012-13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रुपए (दो सौ रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

IndiaCode

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जाएंगे, अर्थात् :–

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
(1)	(2)	(3)
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।

6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

8. ऊपर सारणी 1 और 2 में यथा उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-2008 के लिए प्रति कि.मी. की आधार दरों के यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोध न किया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि छह महीने से पहले कोई संशोधन नहीं किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराप्रा/13013/628/11-12/सीओ/जीसी-पटना (181.30–231.95) बीओटी]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2013

S.O. 1081(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1035(E), dated the 7th May, 2010, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometre 181.300 to kilometre 231.950 (Patna—Bakhtiyarpur Section) of National Highway No. 30 in the State of Bihar to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s. Patna Bakhtiyarpur Tollway Limited, having its registered office at 6-2-913/914, V Floor, Progressive Towers, Khairatabad, Hyderabad-500004, Andhra Pradesh, India, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 30-6-2010 for the development of Patna—Bakhtiyarpur section from Km 181.300 to Km 231.950 on National Highway No. 30 (hereinafter referred to a the "said section") to four laning with paved shoulder operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length 14.200 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rates mentioned in Table 2 for the realignment of 36.4 Km length from Km 195.000 to Km 231.400 on the Type of Vehicles specified in Table 1 & 2 below, and authorizes the

said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the Date of Commercial Operation (COD) declared by the authority and on getting the work completion certificate from the authority of publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement :

TABLE 1

Type of Vehicle	Base rate of fee per Km. for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

TABLE 2

Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van, or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Oversized Vehicle
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	4.50	6
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and upto Rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees two hundred crore.	0.50	0.75	1.50	2.25	3

IndiaCode

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s) :

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. 194.000 (near Deedarganj village in Patna district)	14.200

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s) :

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length & Names of bypass (in Km) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
Km/Ch. 194/000 (near Deedarganj village in Patna district)	36.400 Km (Km 195.000 to Km 231.400)	330.00

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometre from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely :

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty or More	One month from date of payment

5. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, services road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and published thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

[F. No. NHAI/13013/628/11-12/CO/GC-Patna (181.30–231.95) BOT]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.